

WESTERN RAILWAY

P.S.No. 118/2013

Headquarter Office,  
Churchgate, Mumbai-20

No. E(R&amp;T)1136/0 App.M.Vol.II

Date:16.01.2014

To,  
All DRMs / CWMs & Units Incharge,  
C/- Genl. Secy., WREU-GTR / WRMS-BCT.  
C/- ZG-All India SC/ST Rly Employees. Assn,'W' Zone, Mumbai  
C/- ZG-All India OBC Rly Empl. Assn, Mumbai.

Sub: Revision of Training period for Commercial Clerks (Booking  
Parcel & Goods)

=====

A copy of Railway Board's letter No.E(MPP)2009/1/34 Pt. dated  
20.12.2013 (R.B.E.No.134/2013) is sent herewith for information, guidance  
and necessary action.

Encl: As above.

*Neha Gupta*  
*17/01/14*  
( Neha Gupta )  
APO(R&T)  
For General Manager (E)



GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)  
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)  
RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)

RBE No.134/2013

No.E (MPP) 2009/1/34 Pt.

New Delhi,

dated:20-12-2013

The General Managers,  
All Indian Railways.

Sub: Revision of Training period for Commercial Clerks (Booking,  
Parcel & Goods.)

In view of the changed job requirements of Commercial Clerks, and with the approval of Board (MT & MS) it has been decided to revise the existing training schedule for the Commercial Clerks as under:

S.No.	Course Details	No. of Days	Place of Training
1.	Coaching Theory	8	Concerned ZRTI/Trg.Centre
2.	Coaching Practical	2	Any Railway Station
3.	Parcel/Goods Training	8	Concerned ZRTI/Trg.Centre
4.	Parcel/Goods Practical	2	Any Railway Station
	<b>Total Training period</b>	<b>20</b>	


2. The 20 day training module will provide the relevant inputs pertaining to ticket sale through UTS/PCT, cash handling, details of various MIS & reports, preparation of returns, concessions, refunds, relevant rules of Commercial Manual and Coaching Tariffs, inputs from UTS manual and some salient features of customer care and relevant inputs pertaining to forwarding notes, P.Way bills, Railway Receipts, Coaching tariff, Parcel Management System, Terminal Management System and details of various Returns, Balance Sheets & MIS.

3. The 20 days training programme on Coaching and Parcel/Goods consists of 16 days theory and 4 days of practical training as indicated above. The Course contents/training module is enclosed at Annexure-A.

4. Railways are required to implement this revised training schedule in respect of newly recruited Commercial Clerks (Booking, Parcel/Goods) joining hereafter, after their appointment on the Railways.

5. Kindly acknowledge receipt.

DA: Training Module (Annexure 'A')

  
20/12/13  
(Anuradha Singh)  
Director(MPP)  
Railway Board.

**REVISED TRAINING PROGRAMME FOR BOOKING CLERKS (BOOKING/PARCEL/GOODS)**

S.No.	Training Module	Duration	Location
1.	<b>Coaching Theory</b>	<b>8 days</b>	Concerned ZRTI/Trg.Centre
	i.Relevant rules of Commercial Manual & Coaching Tariff	1 day	
	ii.Un-reserved Ticketing System & other types of tickets	1 day	
	iii.Concept of EFT/BPT and other money value books, warrants etc.	1 day	
	iv.Concession & Refunds	1 day	
	v. Details of various MIS & Reports	1 day	
	vi.Preparation of Returns & Coaching Balance Sheet,	1 day	
	vii.Inputs from UTS manual	1 day	
	viii.Salient features of Customer Care & Vigilance Awareness	1 day	
2.	<b>Coaching Practical</b>	2 days	At Any Railway Station
	Practical hands-on training		
3.	<b>Parcel/Goods Theory</b>	<b>8 days</b>	Concerned ZRTI/Trg.Centre
	i.Concept of Forwarding Note, P.Way Bills & Railway Receipts	1 day	
	ii.Relevant inputs of Commercial Manual	1 day	
	iii.Coaching Tariff (Parcel & Luggage)	1 day	
	iv.Military Tariff	1 day	
	v.Red Tariff	1 day	
	vi.Parcel Management System	1 day	
	vii.Terminal Management System	1 day	
	viii.Details of various Returns, Balance Sheet & MIS	1 day	
4.	<b>Parcel/Goods Practical</b>	2 days	At Any Railway Station
	<b>Total Training Duration</b>	<b>20 days</b>	

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय  
(रेलवे बोर्ड)

आरबीई सं. 134/2013

सं. ई(एमपीपी) 2009/1/34 पार्ट.

नई दिल्ली, दिनांक: 20-12-2013

महाप्रबंधक,  
सभी भारतीय रेलें।

विषय: वाणिज्यिक लिपिकों (बुकिंग, पार्सल एवं गुड्स) के लिए प्रशिक्षण अवधि में संशोधन।

वाणिज्यिक लिपिकों के कार्य की बदली हुई जरूरतों को देखते हुए तथा बोर्ड (सदस्य यातायात एवं सदस्य कार्मिक) के अनुमोदन से वाणिज्यिक लिपिकों के मौजूदा प्रशिक्षण कार्यक्रम को निम्नानुसार संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है:

क्रम सं.	पाठ्यक्रम का ब्यौरा	दिनों की संख्या	प्रशिक्षण का स्थान
1.	कोचिंग थ्योरी	8	संबंधित जेडआरटीआई/प्रशिक्षण केन्द्र
2.	कोचिंग प्रैक्टिकल	2	किसी रेलवे स्टेशन पर
3.	पार्सल/गुड्स ट्रेनिंग	8	संबंधित जेडआरटीआई/ प्रशिक्षण केन्द्र
4.	पार्सल/गुड्स प्रैक्टिकल	2	किसी रेलवे स्टेशन पर
	<b>कुल प्रशिक्षण अवधि</b>	<b>20</b>	

2. 20 दिनों के प्रशिक्षण मॉड्यूल में यूटीएस/पीसीटी के माध्यम से टिकटों की बिक्री, कैश हैंडलिंग, विभिन्न एमआईएस एवं रिपोर्टों का ब्यौरा, रिटर्न तैयार करने, रियायत देने, रिफंड करने, वाणिज्यिक नियमावली तथा कोचिंग टैरिफ के संगत नियमों, यूटीएस नियमावली से प्राप्त इनपुट तथा ग्राहक सेवा से संबंधित कुछ प्रमुख विशेषताओं से संबंधित संगत इनपुट और अग्रेशन नोटों, पी-वे बिलों, रेलवे रसीदों, कोचिंग टैरिफ, पार्सल प्रबंधन प्रणाली, टर्मिनल प्रबंधन प्रणाली तथा विभिन्न रिटर्न, बैलेंस शीटों एवं एमआईएस के ब्यौरों से संबंधित संगत इनपुट मुहैया कराया जाएगा।

3. कोचिंग तथा पार्सल/गुड्स से संबंधित 20 दिनों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऊपर उल्लेख किए गए अनुसार 16 दिनों की थ्योरी तथा 4 दिनों का प्रैक्टिकल प्रशिक्षण दिया जाएगा। पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु/ प्रशिक्षण मॉड्यूल अनुलग्नक -क पर संलग्न है।

4. रेलों से अपेक्षा की जाती है कि वे रेलों पर नियुक्ति के बाद भविष्य में ज्वाइन करने वाले नए भर्ती किए गए वाणिज्यिक लिपिकों (बुकिंग, पार्सल/गुड्स) के संबंध में संशोधित प्रशिक्षण लागू करें।

5. कृपया पावती दें।

संलग्नक: प्रशिक्षण कार्यक्रम (अनुलग्नक 'क')

अनुराधा सिंह  
20/12/13  
(अनुराधा सिंह)  
निदेशक (एमपीपी)  
रेलवे बोर्ड

सं. ई(एमपीपी) 2009/1/34 पार्ट.

नई दिल्ली, दिनांक: 20-12-2013

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. महासचिव, एनएफआईआर, 3 चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ 35 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
2. महासचिव, एआईआरएफ, 4, स्टेट एन्ट्री रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ 35 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
3. महासचिव, फ़ोआ, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन को सूचनार्थ 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
4. महासचिव, इरपोफ, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
5. राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, 13-सी, फ़िरोजशाह रोड, नई दिल्ली को 90 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
6. महासचिव, एआईआरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं. 256-डी रेल भवन, नई दिल्ली को 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
7. महासचिव, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन, 171/बी-3, बसंत लेन, रेलवे कॉलोनी, नई दिल्ली (15 अतिरिक्त प्रतियों सहित)

नवीन  
कृते सचिव/ रेलवे बोर्ड

वाणिज्यिक लिपिकों (बुकिंग, पार्सल एवं गुड्स) के लिए संशोधित प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रम सं.	प्रशिक्षण मॉड्यूल	अवधि	स्थान
1.	<b>कोचिंग थ्योरी</b>	8	
	i. वाणिज्यिक नियमावली एवं कोचिंग टैरिफ के संगत नियम	1 दिन	
	ii. अनारक्षित टिकट प्रणाली एवं अन्य किस्म की टिकटें	1 दिन	
	iii. ईएफटी/बीपीटी तथा अन्य मनी वैल्यू बुक, वारंट आदि की अवधारणा	1 दिन	
	iv. रियायत देना एवं रिफंड करना	1 दिन	संबंधित जेडआरटीआई/प्रशिक्षण केन्द्र
	v. विभिन्न एमआईएस एवं रिपोर्टों का ब्यौरा	1 दिन	
	vi. रिटर्न एवं कोचिंग बैलेंस शीट तैयार करना	1 दिन	
	vii. यूटीएस नियमावली से प्राप्त इनपुट	1 दिन	
	viii. ग्राहक सेवा एवं सतर्कता जागरुकता से संबंधित प्रमुख विशेषताएं	1 दिन	
2.	<b>कोचिंग प्रैक्टिकल</b> प्रैक्टिकल हैंड्स-ऑन प्रशिक्षण	2 दिन	किसी भी रेलवे स्टेशन पर

3.	<u>पार्सल/गुड्स थ्योरी</u>	8 दिन	
	i. अग्रेषण नोटों, पी वे-बिलों एवं रेलवे रसीदों की अवधारणा	1 दिन	
	ii. वाणिज्यिक नियमावली के संगत इनपुट	1 दिन	
	iii. कोचिंग टैरिफ (पार्सल/लगेज)	1 दिन	
	iv. सैन्य टैरिफ	1 दिन	
	v. रेड टैरिफ	1 दिन	संबंधित जेडआरटीआई/प्रशिक्षण केन्द्र
	vi. पार्सल प्रबंधन प्रणाली	1 दिन	
	vii. टर्मिनल प्रबंधन प्रणाली	1 दिन	
	viii. विभिन्न रिटर्नो, बैलेंस शीटों एवं एमआईएस का ब्यौरा	1 दिन	
4.	<u>पार्सल/ गुड्स प्रैक्टिकल</u>	2 दिन	किसी भी रेलवे स्टेशन पर
	कुल प्रशिक्षण अवधि	20 दिन	